अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

भैरूसिंह बनाम नवलसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा – 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या : 2024/252 (पुष्कर)

रिमांड 22/10/24

श्री जगदीश चौधरी एडवोकेट

भैरूसिंह बनाम नवल सिंह वगैरह (2024/252)

22.10.2024

यह अपील श्री जगदीश चौधरी एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 44/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बावत कथन किया कि प्रार्थीगण अपीलाधीन आराजी के खातेदार होकर काबिज काश्त है तथा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है तथा आराजी अविभाजित आराजी है एवं अविभाजित आराजी पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टरा अवैध रूप से निर्माण कर आराजी के मूल स्वरूप में भारी परिवर्तन करने पर आमादा है तथा आराजी को बिना कब्जे, बिना विभाजन के अन्य को बेचान, हस्तांतरित करने पर आमादा है तथा आराजी को बिना कब्जे, बिना विभाजन के अन्य को बेचान, हस्तांतरित करने पर आमादा है एवं आराजी से प्रार्थीगण/अपीलांट को जबरन बेदखल कर महरूम करने पर आमादा है । अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट ने अप्रार्थीगण को इस आशय की धमकी भी दी है और यदि अप्रार्थीगण को इस आशय की धमकी भी दी है और यदि अप्रार्थीगण बिना विभाजन व बिना कब्जे के आराजी को अन्य को बेचान, हस्तांतरित कर देंगे तो प्रार्थीगण/अपीलांट के अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील के निस्तारण तक अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट, उनके असाईनिज, रिश्तेदारान इत्यादित को पावंद किया जाये कि अपील में वर्णित एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अधीन प्रकरण में अंकित ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर की आराजी खसरा नम्बर 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1185/1510, 1186, 106/1522, 1209, 1269, 1270, 1271, 1364 कुल किता 13 कुल रकबा 4.79 हैक्टर को किसी भी प्रकार से हस्तांरण, वय, बेचान इत्यादि नहीं करे और रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति एवं अपील का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 08.10.2024 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र वास्ते आज ही सुनवाई किये जाने एवं एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बावत पेश किया, जिस पर अभिभाषक अपीलांट को विधिवत रूप से एकपक्षीय सुना जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज. अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमे

भैरूसिंह बनाम नवलसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा – 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या : 2024/252 (पुष्कर)

भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 60 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी

अजमेर

Scanned with CamScanner